प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08.06.22

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉ राजीव दीक्षित के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 255/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आलोक गुप्ता पुत्र स्व0 नन्द किशोर गुप्ता निवासी नैपालापुर चौराहा थाना कोतवाली देहात सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त शातिर एवं अभ्यस्त किस्म का अपराधी है, जो आर्थिक एवम् भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से शराब में मिलावट/नकली शराब/परिवहन/ब्रिक्री/नकली टैग प्रयोग करने जैसे अपराध कारित करता है तथा जिसके विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं। **अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।** अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्त का नाम/पता- आलोक गुप्ता पुत्र स्व0 नन्द किशोर गुप्ता निवासी नैपालापुर चौराहा थाना कोतवाली देहात सीतापुर

पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री तेज प्रकाश सिंह
2. का0 लवकुश
3. का0 सतीश कुमार
4. का0 चालक निकित कुमार

आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. मु0अ0सं00731/19 धारा 60/60(2) आव0 अधि0 व 420/467/468/471/272 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर
2. मु0अ0सं0 255/22 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर सीतापुर